राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(14)राज/वाद/2025 जयपुर, दिनांक 22/04/2026

–:: <u>आदेश</u> ::–

कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना 05(51)कार्मिक/क–2/88, दिनांक 31.12.96 के तहत **श्री जसराज पुत्र स्व0 श्रीमती सूजा देवी**, जन्म तिथि 07.07.2004 व शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी (10+2) उत्तीर्ण, निवासी– 03 नम्बर स्कूल के पास, वार्ड नं0 07, पोकरण, जिला जैसलमेर को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत <u>कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैसलमेर</u> में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

उक्त नियुक्ति वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी तथा उक्त पद पर की गई नियुक्ति उक्त शर्तो के साथ–साथ निम्न शर्तो के अध्याधीन भी होगीः–

1. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017, दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसूची–4 के नियम 16 के संबंधित लेवल L–5 के अनुसार परिवीक्षाकाल अवधि में नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) रू. 14,600/– प्रतिमाह की दर से देय होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. (सिविल) 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कनिष्ठ सहायक के नियमित वेतन श्रृंखला वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 द्वारा, राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची–प्रथम, पार्ट–बी के नियम नियम–5(vi) और (vii) के पे–मेट्रिक्स के अनुसार लेवल L-5 के सेल नं0–1 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
3. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/आदेश लागू होंगे।
4. राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम, 17 की अनुसूची–4 के नियम 16, नोट क्रमांक–4 के अनुसार परिवीक्षा काल में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मि अवकाश देय होगा।
5. परिवीक्षाकाल में वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नही होंगे।
6. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 द्वारा नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण–पोषण नहीं करने की स्थिति में तत्काल सेवा समाप्त की जा सकेगी।
7. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

8. दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं, राज्य सरकार/इस विभाग द्वारा इनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
10. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. अभ्यर्थी को मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.08.10, 21.09.10 एवं दिनांक 21.06.2017 के अनुसार जिला स्तर पर आयोजित कम्प्यूटर से टंकण परीक्षा, नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष की अवधि के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी। नियत अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. कार्मिक विभाग की अधिसूचना 02.01.2017 में जारी निर्देशों के अनुसार मृतक आश्रित कर्मचारी को कम्प्यूटर योग्यता, परिवीक्षाकाल अर्थात् 02 वर्ष में अर्जित करना अनिवार्य है और यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं की जाती है, तो जितनी विलम्ब की अवधि से कम्प्यूटर योग्यता अर्जित की जायेगी, इनका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि के लिये आगे बढ जायेगा तथा कार्य/सेवाओं के निष्पादन में पूर्ण असंतुष्टता की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

ह०

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,विधि/शासन सचिव,विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
2. जिला कलक्टर, जैसलेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री जसराज पुत्र स्व0 श्रीमती सूजा देवी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करवाया जाकर संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर, इस विभाग को अवगत करावें।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी,.. ।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जैसलमेर।
5. अपर लोक अभियोजक, जैसलमेर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
7. श्री जसराज पुत्र स्व0 श्रीमती सूजा देवी, निवासी– 03 नम्बर स्कूल के पास, वार्ड नं0 07, पोकरण, जिला जैसलमेर।
8. एनालिस्ट कम प्रोगामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

22/11/21

(सुरेश चंद बंसल)
शासन सचिव, विधि